पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 226/2024

अनवान :

कुलदीप सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. भवानी सिंह दतक पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. जयदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. सुनील सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
4. कृष्णा देवी पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अभिमन्यु एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अजय बैनीवाल व वकील श्री संजय गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 182/176 के ख0नं0 181 की 0.7590 है0, ख0नं0 21 की 1.9980 है0, ख0नं0 244 की 4.3000 है0 तथा ख0नं0 245 की 18.9310 है0 कुल खसरा 4 की कुल 25.9880 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह के नाम 24723/25988 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह अकेले की बजाय वादी कुलदीप सिंह प्रतिवादी संख्या 1 भवानी सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जयदीप सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुनील सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(प्रिया बजाज) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.04 15:33:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 226/2024

उनवान :

कुलदीप सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. भवानी सिंह दतक पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. जयदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. सुनील सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा।
4. कृष्णादेवी पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सागड़ा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री अभिमन्यु : **वादी**

वकील श्री अजय बैनिवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

वकील श्री संजय गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 4**

निर्णय **दिनांक :** 24.02.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 182/176 के ख0नं0 181 की 0.7590 है0, ख0नं0 21 की 1.9980 है0, ख0नं0 244 की 4.3000 है0 तथा ख0नं0 245 की 18.9310 है0 कुल खसरा 4 की कुल 25.9880 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह के नाम 24723/25988 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में कुलदीप सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा रासलाना खाता संख्या 182 सम्वत 2075—78 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी रासलाना संवत 2043 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र जारीकर्ता ग्राम पंचायत प्रदर्श 3 तथा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य कुलदीप सिंह प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.04 15:33:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत स्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद श किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 182/176 के ख0नं0 181 की 0.7590 है0, ख0नं0 21 की 1.9980 है0, ख0नं0 244 की 4.3000 है0 तथा ख0नं0 245 की 18.9310 है0 कुल खसरा 4 की कुल 25.9880 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह के नाम 24723/25988 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 182/176 के ख0नं0 181 की 0.7590 है0, ख0नं0 21 की 1.9980 है0, ख0नं0 244 की 4.3000 है0 तथा ख0नं0 245 की 18.9310 है0 कुल खसरा 4 की कुल 25.9880 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह के नाम 24723/25988 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भवानीसिंह अकेले की बजाय वादी कुलदीप सिंह प्रतिवादी संख्या 1 भवानी सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जयदीप सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुनील सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.2.25

(प्रिया बजाज) RAS
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.04 15:33:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner